राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)

ई–मेल : hindicell2015@gmail.com
दूरभाष क्र. : (07582) 297118

पत्र क्र.– राभाप्र./33/2025/3050 दिनांकः 25.04.2025 29

अति–आवश्यक

परिपत्र CIRCULAR

विषयः राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम–5 का प्रभावी अनुपालन
Sub : Effective Compliance of Rule- 5 of O.L. Rules, 1976 (As amended, 1987)

राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम–5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना है। हमारा विश्वविद्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है अर्थात हमारे कार्यालय के 80 प्रतिशत से अधिक शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारीगण हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्र 'क' में स्थित होने के नाते हमारा शत–प्रतिशत मूल पत्राचार तो हिन्दी में होना ही चाहिए साथ ही अंग्रेजी/हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिये जाने चाहिए।

अतः उक्त संबंध में निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण हिन्दी/अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों (ई–मेल सहित) का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दें। हिन्दी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उत्तर हिंदी भाषा में है ताकि राजभाषा नियम, 1976 के नियम–5 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

आदेशानुसार,

29/4/25

(कुलसचिव)

प्रतिलिपिः–

1. समस्त निदेशक, प्रशासनिक एवं अध्ययनशाला
2. समस्त विभागाध्यक्ष, केन्द्र प्रभारीगण
3. नियंत्रण अधिकारी, समस्त कार्यालय/अनुभाग/शाखा/प्रकोष्ठ
4. प्रभारी वित्ताधिकारी एवं प्रभारी परीक्षा नियंत्रक
5. समस्त शिक्षकगण/अधिकारीगण/कर्मचारीगण
6. प्रभारी, जनसंपर्क अधिकारी
7. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ– वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
8. कुलपति सचिवालय, माननीया कुलपति महोदया को सूचनार्थ।
9. कुलसचिव के निजी सहायक– सादर सूचनार्थ।
10. गार्ड फाइल

(राजभाषा अधिकारी)